न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 51/2023
अनवान : –

1. जगदीश पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

04.08.2023

निर्णय दिनांक: **04.08.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 72/70 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 84/74 की कुल 0.7469 हैक्ट संयुक्त खाता की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश प्रसाद पुत्र महेन्द्र सिंह द सहवन से दर्ज हो गया है जबकि वादी के समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम नाम जगदीश पुत्र महेन्द्र सिंह दर्ज है।

इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम जगदीश पुत्र महेन्द्रसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दुरूस्त कर देवे तो कुछ दिन तो आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश प्रसाद दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम जगदीश है अतः राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:51 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी का सही नाम मुताबिक समस्त दस्तावेजात जगदीश है जबकि राजस्व रिकार्ड में जगदीश प्रसाद दर्ज है जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानी का सामना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 72/70 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 84/74 की कुल 0.7469 हैक्ट संयुक्त खाता की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश प्रसाद दर्ज है जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का नाम जगदीश दर्ज है तथा तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवार हल्का द्वारा रिपोर्ट भी राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम जगदीश प्रसाद के स्थान पर जगदीश दुरूस्त करने की अभिशंषा की गई है। अतः वाद वादी तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी रिपोर्ट तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 72/70 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 84/74 की कुल 0.7469 हैक्ट संयुक्त खाता की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम जगदीशप्रसाद के स्थान पर जगदीश के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगदीशप्रसाद के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जगदीशप्रसाद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जगदीशप्रसाद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.8.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:51 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 51/2023
अनवान : –

1. जगदीश पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद संख्या 51 वर्ष 2023 निर्णय दिनांक 04.07.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 72/70 की कुल 1.2650 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 10 जीजीएम तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 84/74 की कुल 0.7469 हैक्ट संयुक्त खाता की भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी का नाम जगदीशप्रसाद के स्थान पर जगदीश के अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है।** यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच जगदीशप्रसाद के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का जगदीशप्रसाद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम जगदीशप्रसाद ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/8/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:51 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर